कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)

Phone No. 07706-241445 Email Id : Cmogariaband@yahoo.in

क्रमांक / स्था.भर्ती / मितानिन–एएनएम / 2021 / 4266 गरियाबंद दिनांक 02-07-2021

–:: सूचना ::–

विषय :– प्रशिक्षित मितानिनो से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पद पर आनलाईन प्राप्त आवेदकों की परीक्षा उपरांत अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन एवं संवर्गवार दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने बाबत् ।

–––––00000–––––

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0के पत्र क्रमांक / स्थापना नर्सिंग / 170 / 2021 / 229 नवा रायपुर दिनांक 09.03.2021 अनुसार छत्तीसगढ निवासी प्रशिक्षित मितानिनो से ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला के पद पर इस जिले हेतु 11 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिनांक 10.03.2021 से 31.03.2021 तक आनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में आमंत्रित किये गये थे ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गरियाबंद छ0ग0 व्दारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0 से प्राप्त समय सीमा अनुसार दिनांक 27.06.2021 को उक्त पद हेतु परीक्षा आयोजित किये गये थे, जिनका उत्तर पुस्तिका की जांच कार्यालयीन आदेश क्रमांक स्था.भर्ती / मितानिन–एएनएम / 2021 / 443 दिनांक 29.06.2021 के अनुसार जांच दल गठित कर दिनांक 02.07.2021 को करा ली गई है । परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी का प्रारंभिक मेरिट सूची रोल नंबर अनुसार अवलोकन एवं निम्नानुसार तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु जिले के वेबसाईट www.gariaband.gov.in में एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में प्रकाशन किया जा रहा है ।

अतएव अभ्यर्थी उक्त सूची का अवलोकन कर सकते है ।

दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्य नियम एवं शर्ते :–

टीपः–

1. अनारक्षित / अजजा / अजा संवर्ग हेतु दिनांक 10.07.2021 को प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे तक निर्धारित है
2. अपिव संवर्ग हेतु दिनांक 12.07.2021 को प्रातः 11 बजे से सायं 5.00 बजे तक निर्धारित है ।
3. दस्तावेज सत्यापन तिथि को अभ्यार्थी / आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा ।
4. दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर व्दारा जारी पांच वर्ष का मितानिन कार्य का अनुभव प्रमाणपत्र की मूलप्रति अवश्य लावे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / खंड चिकित्सा अधिकारी व्दारा जारी प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा ।
5. अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेजों की मूलप्रति लाना अनिवार्य होगा एवं 02 स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा ।
6. अभ्यार्थियों को अपने साथ 02 कलर पासपोर्ट साईज फोटो एवं पहचान पत्र (पेनकार्ड / आधारकार्ड / ड्रायव्हिंग लायसेंस / मतदाता परिचय पत्र) अनिवार्य रूप से लाना होगा ।
7. यदि अभ्यार्थी व्दारा दस्तावेज सत्यापन क समय विज्ञापन में दर्शित आवश्यक समस्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है,तो उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पृथक से अतिरिक्त समय नहीं दिया जावेगा। एवं चयन प्रकिया में अपात्र माना जावेगा ।
8. कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यार्थियों को कोविड–19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
9. दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षा के दौरान प्रदाय किये गये प्रवेश पत्र जिसमें केंद्राध्यक्ष का हस्ताक्षर है लाना अनिवार्य है।
10. आनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का ही सत्यापन किया जावेगा । अतिरिक्त अन्य दस्तावेजो को स्वीकार और सत्यापन नहीं किया जावेगा ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–गरियाबंद (छ.ग.)